Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

भंवरलाल पिता धन्नालाल जाट वगैरहा — प्रार्थीगण	बनाम	धन्नालाल पिता बलदेव जाट वगैरहा — विपक्षीगण	
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0 505	सन् 2025	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/25	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई, मैंने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 व 02 के दादाजी श्री बलदेव जी पिता सोनाथ जी जाट निवासी दांथल के खातेदारी की ग्राम दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में सम्वत् 2058 की जमाबन्दी में खाता संख्या 311 में आराजी नम्बर 1895/2 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 913/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1323 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1893/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1906 रकबा 0.7334 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.6944 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 312 में आराजी नम्बर 1909/1 रकबा 1.1760 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वर्तमान में उक्त वर्णित दोनो खाता संख्या 311 व 312 में वर्णित आराजियात एक ही नवीन खाता संख्या 337 में कुल खसरा 07 कुल रकबा 2.8704 हैक्टेयर के रूप में विपक्षी संख्या 01 धन्ना पिता बलदेव जाट के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दांथल की जमाबन्दी सम्वत् 2058 में खाता संख्या 68 में आराजी नम्बर 11 रकबा 1.1633 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 12 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर भूमि जो कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है जो उनका अपने पिता बलदेव जाट की विरासत से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में उक्त वर्णित दोनो आराजियात एक ही नवीन खाता संख्या 86 में कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर के रूप में विपक्षी संख्या 01 धन्ना पिता बलदेव जाट के नाम पर दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पूर्वजों के समय ही होने से इनमें प्रार्थीगण का अपने जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो गया था जिसमें जिसमें प्रार्थी सं. 1 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 का 1/3 हक हिस्सा और शेष 1/3 हक हिस्सा विपक्षी सं. 1 व 2 का है। बलदेव जी का करीब 15–20 वर्ष पहले देहान्त हो गया था जिनके वारिसान विपक्षी सं. 1 व 2 और प्रार्थीगण है जिनका उक्त अनुसार हक हिस्सा व कब्जा उक्त आराजियात में है और इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण को उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना आवश्यक है। विपक्षी सं. 1 धन्ना जी अपने पुत्र विपक्षी सं. 2 सीताराम के नाजायज दबाव में हैं और उसी के शामिल शरीक में रह रहे हैं जिससे विपक्षी सं. 1 अनाधिकार उक्त वर्णित भूमि को खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित कर अपने पुत्र विपक्षी सं. 2 सीताराम को नाजायज लाभ पहुंचाने व हम प्रार्थीगण को हानि पहुंचाने पर उतारू हो रहे हैं व पूरी विक्रय राशि विपक्षी सं. 2 सीताराम को ही देने पर आमादा हो रहे हैं इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर जबरन बेदखल कर देंगें तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर	

अतः वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर, निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल, पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 337 में आराजी नम्बर 1319, 1323, 1893/2, 1895/2, 1906, 1909/1 व 913/2 कुल किता 07 कुल रकबा 2.8704 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 86 में आराजी नम्बर 11 व 12 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 11/11/2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भू-भाग को किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द, अन्तरित व भारित नहीं करें, प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस सम्मन आवश्यक रूप से पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा आगामी पेशी पर अप्रार्थीगण के सम्मन मय ट्रेक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 11/11/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

3-10-25 पत्रावली प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से अवलोकित की गई। मूल वाद में प्रार्थीगण व पक्षकारों में राजीनामा हो जाने किसी प्रकार आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहना अंकित किया है। मूल वाद में निर्णय हो जाने से प्रार्थना पत्र कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः दिनांक 07-10-25 को विपक्षीगण के विरुद्ध जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अंवरलाल
भैरूलाल
गोपाल

रमेश कुमावत एडवोकेट
Vijay Bapna

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा